न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 13 / 2017 प्रार्थना पत्र 14(4)

आम जनता ग्राम जस्सापाडा आभानेरी तहसील बसवा जिला दौसा जरिये
1. मुकेश मीना पुत्र रामसिंह मीना
2. अमरसिंह पुत्र रंगलाल

जाति मीना निवासी जस्सापाडा आभानेरी तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र घासीराम जाति माली निवासी जस्सापाडा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति ग्राम जस्सापाडा तहसील बसवा जिला दौसा जरिये उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई।
3. राज. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बसवा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जेर धारा 14(4) राज. लै. रे. एक्ट बाबत निरस्त किये जाने आवंटन आदेश दिनांक 7.6.2002 निर्णय तहत अप्रार्थी सं. 1 आवंटन भूमि

उपस्थिति : श्री विश्राम दयाल प्रजापति अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री सुशील कुमार मिश्रा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांक: 13.09.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम जस्सापाडा तहसील बसवा में स्थित भूमि खतौनी सं. पुरानी 9 का गत ख़सरा नं. 197 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा मार्ग व सडक गैर मुमकिन रास्ता स्थित थी, जो सम्वत 2008 से 2022 व 2030 से 2033 की जमाबंदी मे दर्ज है एवं सम्वत 2043 से 2046 तक मार्ग पगडण्डी व गैर मुमकित रास्ता दर्ज रही थी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये सेटलमेन्ट में खसरा नं. 197 की किस्म परिवर्तन करते हुए इसे गैर मुमकिन रास्ता से सिवायचक दर्ज कर इसके नये खसरा नं. 640 रकबा 0.15 है., खसरा नं. 641 रकबा 0.42 है., खसरा नं. 643 रकबा 1.59 है. बना दिये एवं खसरा नं. 640 व 641 को बारानी तृतीय बना दिया। किस्म परिवर्तन के बाद आवंटन कमेटी ने कैम्प जस्सापाडा में खसरा नं. 640 रकबा 0.15 है. गै. मु. रास्ते की भूमि का आवंटन दिनांक 7.6.2002 को अप्रार्थी नं. 1 को कर दिया। आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के हक में किये गये गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नं. 640 रकबा 0.15 एयर ग्राम जस्सापाडा तहसील बसवा आवंटन आदेश दिनांक 7.6.2002 को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा नं. 197 जिसके नये खसरा नं. 640, 641, 643 किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। जो जमाबंदी सम्वत 2008 से 2022, 2030 से 2033 एवं सम्वत 2043 से 2046 तक मार्ग पगडण्डी व गैर मुमकित रास्ता दर्ज रही थी। उसके बाद सैटलमेन्ट विभाग द्वारा इसकी किस्म सिवायचक दर्ज कर नये खसरा नं. 640, 641 643 बना दिये सैटलमेन्ट विभाग को पूर्व में दर्ज भूमि की किस्म को बदलने का कोई अधिकार नहीं था। सैटलमेन्ट विभग ने गलत एन्ट्री कर दी। नदी, नाले, गैर मुमकिन रास्ता, तलाई आदि की भूमि को आवंटन नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी सं. 1 ना तो भूमिहीन है और ना ही अनूसूचित जाति व जनजाति का सदस्य है। अप्रार्थी सं. 1 के पास पहले से ही उसकी खातेदारी की चाही भूमि थी एवं कानूनन भूमिहीन व्यक्ति को ही आवंटन किया जा सकता है। उसके बावजूद भी आवंटन कमेटी द्वारा खसरा नं. 640 रकबा 0.15 एयर भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी ने अप्रार्थी सं. 1 को कानून के विपरीत भूमि का आवंटन किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन के बाद भी अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आवंटन की शर्तो का पालन नहीं किया है एवं कब्जा भी प्राप्त नहीं किया। उसके बावजूद भी अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार बसवा ने अप्रार्थी सं. 1 के नाम नामान्तरकरण सं. 112 दिनांक 15.6.2002 तस्दीक कर अप्रार्थी सं. 1 को खसरा नं. 640 का गैर खातेदार दर्ज कर कानूनी गलती की है। आवंटन नियम के अनुसार आवंटन शुदा भूमि पर आवंटी को कब्जा प्राप्त कर काश्त करना जरूरी है लेकिन आज भी यह भूमि प्रार्थीगण के आवागमन के लिये रास्ते के उपयोग में आ रही है। उसके बावजूद भी अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार बसवा ने अप्रार्थी सं. 1 के हक में दिनांक 4.8.2008 को खातेदारी का नामान्तरकरण खोल दिया जो कि आवंटन की शर्तो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। आम जनता द्वारा उठाये गये विवाद व यह जानते हुए कि उक्त भूमि रास्ते की भूमि है अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 07.09.2016 को खसरा नं. 640 रकबा 0.15 एयर में से 1 एयर भूमि वापिस अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार बसवा के नाम समर्पित कर दी। अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से न्यायिक दृष्टान्त RRT 2018 (1) पेज नं. 592 प्रस्तुत कर आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के हक में किये गये गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नं. 640 रकबा 0.15 एयर भूमि ग्राम जस्सापाडा तहसील बसवा जिला दौसा आवंटन आदेश दिनांक 7.6.2002 निरस्त कर पुनः उक्त भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 द्वारा निवेदन किया गया कि यदि सैटलमेन्ट विभाग ने भूमि की किस्म की गलत एन्ट्री की है तो प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में दावा करना चाहिए था। अधिवक्ता प्रार्थीगण का कहना है कि अप्रार्थी के पास पहले से ही चाही भूमि थी, यदि अप्रार्थी भूमिहीन नहीं है तो प्रार्थीगण को उसका रिकॉर्ड प्रस्तुत करना चाहिए था। अप्रार्थीगण को जो भूमि अलॉट की गई है वह सिवायचक भूमि रही है। आवंटन की प्रक्रिया नियमानुसार सही तरीके से की गई है। प्रार्थीगण ने 17 वर्ष बाद अपील प्रार्थना पत्र दायर किया है। यह अपील अवधिपार है। बार--बार प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 को प्रताडित करते रहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व प्रस्तुत नजीरो का भली प्रकार से अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आंवटी के नाम खातेदारी का नामान्तरकरण खुलने के उपरान्त आवंटी को खातेदारी अधिकार मिल चुके है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि आवंटी के पास पहले से ही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

भूमि थी, आवंटी भूमिहीन नहीं था किन्तु उसके समर्थन में ऐसा कोई रेकार्ड या दस्तावेजात पेश नही किये है जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी के पास पहले से भूमि हो। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे इस पर चस्पा नही होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा